रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241524
CG-DL-E-30122022-241524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5926] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
No. 5926] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6169(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (ii) का.आ. 5481(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2021 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात इसे राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना कहा गया है);

और, राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय, ताप विद्युत संयंत्रों और विभिन्न हितधारकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

और, राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना के कार्यान्वयन में सुचारू परिवर्तन लाने हेतु उक्त अधिसूचना के कतिपय उपबंधों में संशोधन लाना उचित है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम (5) के उप-नियम (1), (2) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी राख के उपयोग संबंधी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

जारी राख के उपयोग से संबंधित अधिसूचना में संशोधन –

1. पैरा क में, -

(i) उप पैरा क (4) में, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :

''परन्तु, यह भी कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को अथवा उसके पश्चात् स्थापित नए ताप विद्युत संयंत्र सारणी में यथा विनिर्दिष्ट 60 प्रतिशत से कम ताप विद्युत संयंत्रों के लिए विनिर्दिष्ट अनुपालन चक्र के समान प्रथम अनुपालन चक्र का अनुसरण करेंगे।

टिप्पण : लागू अनुपालन चक्र के अनुसार उपयोग के लक्ष्य 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।''

(ii) उप पैरा 5 में, -

(क) आरंभिक पैरा में, "इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख" शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2022" उक्त अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, -

(i) ''हरित पट्टी या पौधरोपण'' के पश्चात, "या उप पैरा (6) में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सौर ऊर्जा संभव या पवन ऊर्जा संयंत्र" शब्द कोष्ठकों और अक्षरों को अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीब) या" शब्द कोष्ठक और अक्षर हटा दिया जाएंगे।

(iii) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा।

(iv) "इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख" शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2022" उक्त अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित उपलब्ध अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु कि पैरा क (6) में यथाविनिर्दिष्ट राख के अस्थायी भंडारण हेतु अभिहीत किए गए संचालित राख कुंड या डाइक के सिवाय सभी राख कुंडों या डाइक में संग्रहीत राख में पुरानी राख एकत्रित होगी और या तो इसे पुन:प्राप्त या स्थिर या उपयोग करना होगा।"

(iii) उप पैरा (6) के स्थान, उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

"(6) किसी भी नए और साथ ही चालू थर्मल पावर प्लांट को 0.1 हेक्टेयर प्रति मेगा वाट (मेगावाट) के क्षेत्र में राख के अस्थायी भंडारण के लिए परिचालन राख तालाब या डाइक की अनुमति दी जा सकती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से बनाए गए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार परिचालन के साथ-साथ स्थिर और पुन: दावा किए गए राख तालाबों या बांधों की तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार होंगे और ये दिशानिर्देश वार्षिक प्रमाणन के लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित करेंगे। परिचालन के साथ-साथ राख तालाब या डाइक को उसकी सुरक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, उपलब्ध मात्रा, निपटान के तरीके, पानी की खपत या निपटान में संरक्षण, राख जल पुनर्चक्रण और हरित पट्टी, आदि पर परिचालन के साथ-साथ स्थिर और पुन: प्राप्त किया जाएगा और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने भीतर रखा जाएगा :

परंतु कि 31 दिसंबर, 2021 से पहले चालू किए गए ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 1600 मेगावाट से कम या उसके बराबर स्थापित क्षमता वाले दो परिचालन राख तालाबों या डाइकों तक और 1600 से अधिक स्थापित क्षमता वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए चार परिचालन राख तालाबों या बांधों तक MW, मौजूदा राख तालाबों या बांधों से निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर कई लैगून होने पर, निर्देशांक के साथ स्पष्ट सीमांकन के साथ नामित किया जा सकता है, और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण को सूचित करेगा। नियंत्रण समिति (पीसीसी) 31 मार्च, 2023 तक :

परंतु आगे कि नए थर्मल पावर प्लांट या मौजूदा थर्मल पावर प्लांट के विस्तार के मामले में केवल एक ऐश पोंड या डाइक की अनुमति दी जाएगी 31 दिसंबर, 2021 को या उसके बाद, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को कमीशन की तारीख से 3 महीने के भीतर निर्देशांक के साथ सीमांकन के विवरण की सूचना देगा। थर्मल पावर प्लांट या 31 मार्च, 2023 तक, जो भी बाद में हो :

परंतु यह और कि कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को आगे किसी भी नए कार्यशील राख कुंड या डाइक को स्थापित करने या नाम निर्दिष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परंतु यह और कि कार्यशील राख कुंड या डाइक की 0.1 हे./मेगावॉट (एमडब्ल्यू) का विनिर्देशन तारीख 3 नवम्बर, 2009 से पूर्व चालू तापीय विद्ययुत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे।"

2. पैरा ख में, -

(i) उप पैरा (1) में, "300 कि.मी. के भीतर" शब्दों कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "300 कि.मी. के रेडियस के भीतर" शब्द कोष्ठक और आंकड़े रखें जाएंगे।

(ii) उप पैरा (8) में, उच्चतर "वैकल्पिक उत्पादों के मूल्य से अधिक" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) या संबंधित लोक कार्य विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा विनिर्दिष्ट दरों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्य या दरों की अनुसूची के अधीन निर्धारित न होने परल वैकल्पिक उत्पादों का मूल्य" शब्द रखे जाएंगे।

3. पैरा घ में, -

(i) उप पैरा (2) के स्थान, उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

''(2) जिन व्यक्तियों या उपयोगकर्ता या एजेंसियों को थर्मल पावर प्लांट के मालिक द्वारा नोटिस दिया गया है, अगर वे राख के उपयोग के उद्देश्य से पहले से ही अन्य एजेंसियों के साथ करार कर चुके हैं तो थर्मल पावर प्लांट को तदनुसार सूचित करेंगे और यदि वे उपयोग नहीं कर सकते हैं कोई राख या कम मात्रा का उपयोग कर सकता है।''

(ii) उप-पैरा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(3) जिन व्यक्तियों या उपभोकता अभिकरणों को, यदि वे राख आधारित उत्पादों के उपयोग के उद्देश्य से अन्य अभिकरणों के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ऐश ब्रिक्स या टाइल्स या सिंटर्ड ऐश ऐग्रीगेट या अन्य राख आधारित उत्पादों के विनिर्माताओं के द्वारा नोटिस दिया गया है तो उन्हें ऐश ब्रिक्स या आइल्स या सिंटर्ड ऐश ऐग्रीगेट या अन्य राख आधारित उतपादों के विनिर्माताओं को सूचित करना होगा, तद्नुसार, यदि वे राख आधारित उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकते या कम प्रमात्रा में उपयोग कर सकते हैं।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

[फा. सं. एचएसएम - 9/1/2019- एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) सं. एस 5481(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2021 के द्वारा में प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2022

S.O. 6169(E).—Whereas, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O.5481(E), dated the 31st December, 2021 (herein after referred to as the ash utilisation notification);

And whereas, requests have been received from Ministry of Power, thermal power plants and various stakeholders regarding implementation of provisions of the ash utilisation notification;

And whereas, it is expedient to make amendments to certain provisions of the said notification to have smooth transitioning in implementation of the ash utilisation notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with of sub-rule (1), (2) and (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the ash utilisation notification namely:-

In the ash utilisation notification,-

(1) in paragraph A,-

(i) in sub-paragraph (4), after the third proviso, the following shall be inserted, namely,-

"Provided also that new thermal power plants commissioned on or after the date of publication of this notification shall follow the first compliance cycle similar to the compliance cycle specified for thermal power plants having utilisation per cent. less than 60 per cent. as specified in the table.

Note: The utilisation targets as per the applicable compliance cycle shall commence from 1st April, 2022.".

(ii) in sub- paragraph (5),-

(a) in the opening paragraph, for the words "the date of publication of this notification", the figures, letters and word "1st April, 2022" shall be substituted;

(b) in the second proviso, -

(i) after the words "green belt or plantation", the words, brackets, letters and figure "or solar power plant or wind power plant as per the guidelines issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) as specified in sub-para (6)" shall be inserted,

(ii) the words, brackets and letters "Central Pollution Control Board (CPCB) or" shall be deleted,

(iii) for the words "a year", the words "three years" shall be substituted,

(iv) for the words "the date of publication of this notification", the figures, letters and word "1st April, 2022" shall be substituted.

(c) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

"Provided that ash stored in all ash ponds or dykes other than operational ash pond or dyke designated for temporary storage of ash as specified in sub-para (6) shall constitute the legacy ash and either to be reclaimed or stabilised or utilised.".

(iii) for sub- paragraph (6), the following sub-para shall be substituted, namely,-

"(6) Any new as well as operational thermal power plant may be permitted operational ash pond or dyke for temporary storage of ash within an area of 0.1 hectare per Mega Watt (MW). Technical specifications of operational as well as stabilised and reclaimed ash ponds or dykes shall be as per the guidelines of the Central Pollution Control Board (CPCB) made in consultation with the Central Electricity Authority (CEA) and these guidelines shall also lay down a procedure for annual certification of the operational as well as stabilised and reclaimed ash pond or dyke on its safety, environment pollution, available volume, mode of disposal, water consumption or conservation in disposal, ash water recycling and green belt, etc. and shall be put in place within three months from the date of publication of this notification:

Provided that up to two operational ash ponds or dykes for thermal power plants commissioned before 31st December, 2021, having installed capacity less than or equal to 1600 MW, and up to four operational ash ponds or dykes for thermal power plants having installed capacity more than 1600 MW, having multiple lagoons, within the specified area from the existing ash ponds or dykes, may be designated with clear demarcation along with coordinates, and shall inform to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) by 31st March, 2023:

Provided further that one ash pond or dyke shall be permitted in case of new thermal power plants or expansion of existing thermal power plants commissioned on or after 31st December, 2021, which shall inform the details of demarcation along with coordinates to Central Pollution Control Board (CPCB) and concerned State Pollution Control Board (SPCB) or Pollution Control Committee (PCC) within 3 months from the date of commissioning of thermal power plant or by 31st March, 2023, whichever is later:

Provided also that coal and lignite based thermal power plants shall not be allowed to further establish or designate any new operational ash pond or dyke:

Provided also that specification of 0.1 hectare per Mega Watt (MW) of an operational ash pond or dyke shall not be applicable for the thermal power plants commissioned before 03rd November, 2009.".

(2) in paragraph B,-

(i) in sub- paragraph (1), for the words, figures and letters "within 300 kms", the words, figures and letters "within a radius of 300 kms" shall be substituted,

(ii) in sub- paragraph (8), for the words "higher than the price of alternative products", the words, brackets and letters "more than the price mentioned in the Schedule of Rates as specified by Central Public Works Department (CPWD) or concerned Public Works Department (PWD) or price of alternative products, if not mentioned in the Schedule of Rates." shall be substituted.

(3) in paragraph -D, -

(i) for sub- paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely,-

"(2) Persons or user agencies who have been served notice by owner of thermal power plants, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash, shall inform the thermal power plant accordingly, and if they cannot use any ash or may use reduced quantity.".

(ii) after sub- paragraph (2), the following sub-para shall be inserted, namely,-

"(3) Persons or user agencies who have been served notice by manufacturers of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash based products, if they have already tied up with other agencies for the purpose of utilisation of ash based products, shall inform the manufacturer of ash bricks or tiles or sintered ash aggregate or other ash based products, accordingly, and if they cannot use ash based products, or may use reduced quantity.".

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. HSM-9/1/2019-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st December, 2021, *vide* number S.O.5481 (E), dated the 31st December, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.12.30 22:04:57 +05'30'